पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (एस.जे.) संख्या 1553

थाना काण्ड संख्या -132 वर्ष-2017 थाना-शेखपुरा जिला-शेखपुरा से उत्पन्न

==========

उपेंद्र चौधरी पिता- सीता राम चौधरी, गाँव-वाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा के निवासी हैं।

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिंदु चौधरी पिता स्वर्गीय हारंगी चौधरी निवासी- गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
2. सादिल चौधरी पिता बिंदु चौधरी गाँव-बाज़िदपुर, पी. एस. शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
3. राजो चौधरी पिता बिंदु चौधरी गाँव-बाज़िदपुर, पी. एस. शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
4. मनोहर चौधरी पिता नंदे चौधरी गाँव-बाज़िदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
5. अशोक चौधरी पिता स्वर्गीय नंदे चौधरी निवासी गाँव-बाज़िदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
6. नवरंगी चौधरी पिता स्वर्गीय जीतन चौधरी निवासी गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
7. भुनेश्वर चौधरी मुनेश्वर चौधरी पिता स्वर्गीय जीतन चौधरी निवासी गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा
8. उमेश चौधरी पिता ब्रह्मदेव चौधरी निवासी गाँव-बाज़िदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
9. जटो चौधरी पिता स्वर्गीय बृहस्पति चौधरी निवासी गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
10. राजेंद्र चौधरी पिता जटो चौधरी निवासी गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
11. सीतो चौधरी पिता स्वर्गीय सोहरय चौधरी निवासी गाँव-बाज़िदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।

12. बाटो @ बाटोरन चौधरी पिता सीतो चौधरी निवासी गाँव-बाज़िदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
13. रंजीत चौधरी पिता स्वर्गीय कृष्ण चौधरी निवासी गाँव-बाजिदपुर, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा ।
14. बिहार राज्य ।

....उत्तरदाता

==========

उपस्थितः

अपीलार्थी/ओं के लिएः	श्री डी. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा,
प्रतिवादी/ओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताः	डॉ. अंजनी के. सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिएः	श्री जेयौल होदा, एपीपी

==========

अपील *- सूचनाकर्ता द्वारा दायर की गई, जिसमें दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सभी निजी प्रतिवादियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 379 और 504 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया, हालांकि उन्हें धारा 147, 148, 341/149, 323/149 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया। सभी दोषियों/प्रतिवादियों को अपराधी सुधार अधिनियम (Probation of Offenders Act) की धारा 3 के तहत चेतावनी देकर मुक्त कर दिया गया। लेकिन दोषियों को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।*

निर्णय *- इस मामले में सीखी गई न्यायालय की राय उचित और कानून और रिकॉर्ड पर आधारित साक्ष्य की सही सराहना पर आधारित है। ऐसी स्थिति में इस*

न्यायालय के लिए उक्त फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और न्यायालय के फैसले को किसी अन्य राय से बदलने का कोई अवसर नहीं है। इस अपील को, इसलिए, खारिज किया जाना चाहिए। (पैरा 34)

मुआवजे की राशि का मूल्यांकन करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, दावे की उचितता और अपराधी की भुगतान क्षमता जैसे कारक अदालत द्वारा विचार किए जाने चाहिए। (पैरा 39)

यह सवाल उठ सकता है कि क्या न्यायालय अपराधी को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है, जबकि अपराधी को अपराधी सुधार अधिनियम की धारा 3 या 4 का लाभ दिया जा रहा है, बिना पीड़ितों द्वारा कोई आवेदन दाखिल किए। इस सवाल का उत्तर इस न्यायालय की विचारशील राय में सकारात्मक है। (पैरा 40)

यह भी याद रखा जाना चाहिए कि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। पेनालॉजी और विक्टिमोलॉजी को एक साथ चलना चाहिए ताकि व्यक्तिगत पीड़ितों और समाज के व्यापक हितों की देखभाल की जा सके। (पैरा 44)

इसलिए, इस मामले में, दोषियों को पीड़ितों को मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 2,500/- रुपये देने का निर्देश दिया जाता है। (पैरा 45)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख: 20-07-2024

वर्तमान अपील सूचक द्वारा शेखपुरा पी.एस. केस संख्या 132/2017 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 54/2018 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा दिनांक 15.02.2023 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत सभी निजी प्रतिवादियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 379 और 504 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है, हालांकि उन्हें धारा 147, 148, 341/149, 323/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है। प्रतिवादी संख्या 8/उमेश चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ धारा 324 के तहत भी दोषी पाया गया है। हालांकि, सभी दोषियों/प्रतिवादियों को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया है। लेकिन दोषियों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है ।

2. सूचक उपेन्द्र चौधरी के फर्दबयान से अभियोजन पक्ष का जो मामला सामने आया है, वह यह है कि दिनांक 29.3.2017 को प्रातः 10 बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर था। अभियुक्तगण उसके घर आये और उससे पूछा कि वह जमीन का बंटवारा क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर सूचक ने

उन्हें बताया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय के आदेशानुसार वह बंटवारा करेगा। अभियुक्तगण लाठी, डंडा, कट्टा और कुल्हाड़ी लेकर आये थे। उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उसके परिवार के सदस्य उसे बचाने आये, जिस पर सभी अभियुक्तगण एक दूसरे को जान से मारने के लिए उकसाने लगे। इस पर अभियुक्त उमेश चौधरी ने उसके माथे पर कट्टा से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया और बेहोश हो गया। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग आ गये और अभियुक्तगण भाग गये।

3. फर्दबायन के आधार पर शेखपुरा थाना कांड संख्या 132/2017 दिनांक 29.03.2017 को सभी तेरह अभियुक्तों (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 427, 504 एवं 379 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु पंजीकृत किया गया।

4. जाँच के बाद, आरोप पत्र संख्या 384/2017 प्राथमिकी में सभी नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। संज्ञान लेने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों (यहाँ उत्तरदाताओं) का मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और उन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379/ 149, 504/149, 341/ 149, 307/ 149, 147 और 148 के तहत आरोप का गठन किया गए थे। आरोपों को उन्हें पढ़कर सुनाया, , जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित आठ गवाहों की परीक्षा ली गई:

(1) **पी.डब्लू-1**- मोहम्मद अख्तर खान

(2) **पी.डब्लू-2**-अशोक चौधरी

(3**) पी.डब्लू-3**-राज कुमार चौधरी

(4) **पी.डब्लू-4**-मुन्नी देवी

(5) **पी.डब्लू-5**-सरिता देवी

(6) **पी.डब्लू-6**-उपेंद्र चौधरी

(7) **पीडब्लू 7**-डॉ. रविशंकर शर्मा

(8) **पीडब्लू 8**-बच्चू चौधरी

6. **अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर दर्ज किएः**

(i) **प्रदर्श 1**- फर्दबयान पर सरिता देवी के हस्ताक्षर

(ii) **प्रदर्श 1/1**- फर्दबयान पर उपेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर

(iii) **प्रदर्श 2**- उपेंद्र चौधरी

(iv) **प्रदर्श 3**- राजकुमार चौधरी की चोट की रिपोर्ट।

(v) **प्रदर्श 4-** सरिता देवी की चोट की रिपोर्ट

(vi) **प्रदर्श 5**- मुन्नी देवी की चोट की रिपोर्ट

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों का धारा 313 Cr.PC के अंर्तगत परीक्षण किया गया, जिसके दौरान उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ताकि उन्हें उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिल सके। जाँच के दौरान,

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुने थे, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति की व्याख्या नहीं की, हालांकि उन्होंने हर आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया।

8. बचाव पक्ष की ओर से केवल एक गवाह राधे प्रसाद सिंह को डी.डब्लू.-1 के रूप में परीक्षित किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए थेः-

(i) **प्रदर्श A**- ए-टी. एस. 88/2016 की शिकायत की प्रमाणित प्रति
(ii) **प्रदर्श B**- बी-जी. आर. सं. 453/2017 के सभी आदेश-पत्रों की प्रमाणित प्रति।
(iii) **प्रदर्श C**- सी-जी. आर. सं. 453/2017 की एफ. आई. आर. की प्रमाणित प्रति।
(iv) **प्रदर्श D**- डी.जी. आर. सं. 453/2017 के आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति

10. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद विवादित फैसला और आदेश पारित किया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को धारा 307, 379 और 504 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 147, 148, 341/149 और 323/149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। विवादित आदेश के तहत, दोषी/प्रतिवादी संख्या 8, यानी, उमेश चौधरी को धारा 324 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत भी दोषी ठहराया गया। हालांकि, सभी

दोषियों/प्रतिवादियों को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि, एलडी द्वारा कोई मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराधियों द्वारा पीड़ितों को अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत भुगतान किया जाना ।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों, की उचित रूप से सराहना नहीं की है। अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को आई. पी. सी. की धारा 307,379 और 504 के तहत बनाए गए आरोपों से गलती से बरी कर दिया है तथा उन्हें केवल आई. पी. सी. की धारा 147, 148, 341/149 और 323/149 के तहत दोषी ठहराया हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त अर्थात उमेश चौधरी/प्रतिवादी संख्या 8 को भी भा०द०वि० की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि सभी अभियुक्त व्यक्तियों को उनके खिलाफ बनाए गए सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा है कि दोषी/प्रत्यर्थियों को पर्याप्त सजा नहीं दी गई है। विवादित आदेश द्वारा, सभी दोषियों/प्रत्यर्थियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि सभी को कारावास की सजा दी जानी चाहिए थी या वैकल्पिक रूप से, दोषियों को अदालत द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

12. हालांकि, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील संख्या 1 से 13 तक और राज्य के लिए विद्वान एपीपी ने विवादित निर्णय और आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का हत्या करने का कोई इरादा था। अगर उनका ऐसा इरादा होता, तो वे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए बार-बार हमले कर सकते थे। आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, केवल साधारण चोट लगी है और वह भी शरीर के गैर- महत्वपूर्ण हिस्सों पर। चोरी के आरोप को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत भी नहीं है।

13. उन्होंने आगे कहा कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के मामले में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों से कुछ अलग हैं। बरी किए जाने के मामले में, अपीलीय न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार उचित नहीं है। भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों और विद्वान विचारण न्यायालय ने एक दृष्टिकोण लिया हो, अपीलीय न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को दूसरे दृष्टिकोण से बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया

दृष्टिकोण कानून और तथ्यों की उचित समझ पर आधारित है, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।।

14. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि दोषी/उत्तरदाताओं को भी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद सही तरीके से रिहा कर दिया गया है। सजा सुनाना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और सूचना देने वाले को उस विवादित आदेश पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है जिसके तहत दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिए गए हैं। धारा 372 द०प्र०स० के प्रावधान के तहत पीड़ित को विवादित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल राज्य ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत दोषियों को सजा की अपर्याप्तता या लाभ प्रदान करने के खिलाफ की धारा 377 के तहत अपील दायर कर सकता है।

15. मुझे यह प्रतीत हुआ द०प्र०सं० अभियोजन पदाधिकारी राज्य के लिए विद्वान और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील सं. 1 से 13 के तर्क से कि सूचना देने वाले/पीड़ित को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत दोषियों को सजा की अपर्याप्तता या राहत देने के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने का अधिकार केवल द०प्र०स० की धारा 377 के तहत राज्य को प्रदान किया गया है। पीड़ित को

अपील करने का अधिकार धारा 372 द०प्र०स० के प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है जो निम्नानुसार हैः-

> **"372. कोई अपील नहीं जब तक कि अन्यथा प्रावधानित न हो** .- आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रावधान किया गया हैः
>
> बशर्ते कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या अपर्याप्त मुआवजा अधिरोपित करने के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है।

16. धारा 372 द०प्र०स० के परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पीड़ित को केवल निम्नलिखित तीन स्थितियों में अपील करने का अधिकार हैः

(i) यदि अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, या

(ii) अभियुक्त को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या

(iii) दोषसिद्ध अभियुक्त पर अपर्याप्त मुआवजा अधिरोपित है।

17. इसलिए, यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित को सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। राज्य को इस तरह की अपील दायर करने का अधिकार देने वाली धारा 377 द०प्र०स० के तहत सजा बढ़ाने के लिए अपील का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अपील करने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जब तक कानूनी प्रावधान द्वारा अपील

करने का अधिकार नहीं बनाया गया है, तब तक अपील बनाए रखने योग्य नहीं हो सकती है। यहाँ, यह उपयुक्त होगा परविंदर कंसल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2020) 19 एस. सी. सी. 496 का उल्लेख करें, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो इस प्रकार हैः-

> "8.....विनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक पीड़ित के अपील करने के अधिकार का संबंध है, यह तीन घटनाओं तक सीमित है, अर्थात्, अभियुक्त को बरी करना; कम अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराना; या अपर्याप्त मुआवजा लागू करना। जबकि पीड़ित को अपर्याप्त मुआवजा लगाने की स्थिति में अपील करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन साथ ही पीड़ित द्वारा सजा के आदेश पर सवाल उठाने के लिए अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 राज्य सरकार को सजा बढ़ाने के लिए अपील करने की शक्ति देती है। जबकि राज्य सरकार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के तहत अपर्याप्त सजा के लिए अपील करना खुला है, लेकिन इसी तरह पीड़ित द्वारा अपर्याप्त सजा के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का उपाय क़ानून का हिस्सा है। जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा इसका प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक पीड़ित के कहने पर सजा बढ़ाने की कोई अपील विचारणीय नहीं है।

18. इसी तरह, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभों का अनुदान भी दाखिल करने के लिए एक आधार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। पीड़ित द्वारा धारा 372 द०प्र०स० के प्रावधान के तहत अपील, शायद इसलिए कि दोषियों

को कारावास या जुर्माने की सजा देना और पीड़ितों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देना अदालत के लिए वैकल्पिक विकल्प हैं।

19. इसलिए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के लाभों के अनुदान के खिलाफ पीड़ित की अपील विचारणीय नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय उस विवादित आदेश की वैधता/अवैधता या औचित्य/अनुचितता पर गौर नहीं कर सकता है जिसके तहत विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है।

20. मैं राज्य के लिए विद्वान अभियोजन पदाधिकारी और निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने से भी सहमत हूं कि बरी होने के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत उन सिद्धांतों से काफी अलग हैं जो दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के मामले में लागू होते हैं।

21. हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 40 के मामले में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया है कि एक अदालत न केवल उनके सभी पहलुओं में कानून और तथ्य के प्रश्नों की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों की भी बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए जो निचली अदालतों को आरोपी को बरी करने के लिए प्रेरित करते हैं और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब इस तरह की जांच के बाद कि निचली

अदालत द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है वह अनुचित है।

22. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कई प्राधिकारियों का हवाला देते हुए माना है कि अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी किए जाने की स्थिति में, उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा पुष्ट, पुष्ट और मजबूत किया जाता है और यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

23. मुरुगेसन बनाम राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 383 में, **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने अभिनिर्धारित किया है कि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर पहुंचना असंभव नहीं है और उसके कारणों, जो अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री से संबंधित हैं, का खुलासा किया जाता है, तब तक धारा 378 द०प्र०स० के तहत शक्ति के प्रयोग में कोई और जांच की आवश्यकता नहीं थी।

24. एच. डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एस. सी. सी. 581 में , **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के

तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दियाः

> " **8.1**. अभियुक्त के बरी होने से निर्दोष होने की धारणा और मजबूत होती है।
>
> **8.2**. अपीलीय अदालत, बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील की सुनवाई करते हुए, मौखिक और पटना उच्च न्यायालय सी. आर. की पुनः सराहना करने का हकदार है।
>
> दस्तावेजी साक्ष्यः
>
> **8.3.** अपीलीय न्यायालय, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था:
>
> **8.4.** यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक और दृष्टिकोण भी संभव था; और
>
> **8.5.** अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकमात्र निष्कर्ष जो र्ष जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकता है वह यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।"

(जोर दिया गया)

25. बाबू साहेवगौड़ा रुद्रगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 561, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः

"39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए एक अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश का प्रयोग चारों कोनों के भीतर किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित सिद्धांतों में सेः

(क) <u>कि बरी किए जाने का निर्णय पेटेंट विकृति से ग्रस्त है:</u>

(ख) <u>(बी) कि यह रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य पर विचार करने के लिए गलत पढ़ने/चूक पर आधारित है:</u>

(ग) <u>(ग) कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से कोई भी दो उचित विचार संभव नहीं हैं और केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही संभव है।</u>

<u>(जोर दिया गया)</u>

<u>40. अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उपरोक्त कारकों पर प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे यदि वह</u>

विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए बरी किए जाने के निर्णय को उलटने के लिए इच्छुक है।"

26. मामले पर आते हुए मुझे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अवलोकन के बाद पता चलता है कि **पी. डब्लु 6** उपेंद्र चौधरी, जो इस मामले के वादी सूचनार्थी है, ने अपनी जाँच में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि यह घटना लगभग ढाई साल पहले सुबह के समय हुई थी और उस समय वह अपने घर पर थे। जमीन को मापने के लिए आरोपी लोग आए। सूचक ने उनसे पूछा कि क्या अदालत ने माप के लिए कोई आदेश दिया है। इस सवाल पर अभियुक्त व्यक्तियों ने जवाब दिया कि अदालत के आदेश के बिना भी वे भूमि को मापेंगे। सूचक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी जटो चौधरी ने उमेश चौधरी को हमला करने के लिए उकसाया। इसके बाद आरोपी लोगों ने ईंटें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सरिता देवी, मुन्नी देवी, चंद्र किशोर चौधरी, राज कुमार चौधरी और उपेंद्र चौधरी ईंटों और पत्थरों से घायल हो गए थे। हालाँकि, आरोपी उमेश चौधरी ने उसकी दाहिनी आँख के पलक पर हमला किया और बाकी अभियुक्तों ने ईंटें और पत्थर फेंके थे। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है अपनी प्रतिप्ररक्ष में, उन्होंने गवाही दी कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अभियोजन पक्ष के खिलाफ 2017 का शेखपुरा थाना कांड मामला संख्या 131 भी दर्ज किया था और दोनों पक्षों के बीच विभाजन का मुकदमा भी चल रहा है और घटना की तारीख पर, विभाजन सूट प्राप्त हुआ। घटना स्थल पर

केवल सूचना देने वाले का घर स्थित है। अभियुक्त व्यक्तियों का घर भी सूचक के घर से दक्षिण में 700 फुट पर स्थित है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उन्होंने 2017 के शेखपुरा थाना कांड सं० केस नंबर 131 के लिए जवाबी मुकदमे के रूप में झूठा मामला दर्ज किया था।

27. **पी.डब्लू-1** Md. अख्तर खान ने बयान दिया है कि उन्हें कथित घटना के बारे में कुछ नहीं पता है और उन्होंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। इस प्रकार, पी. डब्ल्यू 1 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए कोई उपयोगी नहीं है। **पी.डब्लू-2**, अशोक चौधरी केवल एक सुनी सुनाई गवाही है। इस प्रकार, उसका साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले में सहायक नहीं है।

28. **पी.डब्लू-3** राज कुमार चौधरी हैं। अपने परीक्षण में, उन्होंने अपदस्थ किया है कि घटना के समय वह घर पर थे। जब आरोपी व्यक्ति उसके घर आए तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल गए थे। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उसने बयान दिया है कि वह अभियुक्त व्यक्तियों और उसके पिता के बीच चल रहे भूमि विवाद और उनके बीच चल रहे 2016 के 88 नंबर के स्वामित्व मुकदमे के कारण गवाही देने आया था। मालिकाना हक के मुकदमे में नोटिस के कारण आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यह आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकार, उसके साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया गया था। **पी.डब्लू-4 प्रमुख ने अभियोजन**

पक्ष के मामले का समर्थन किया है, लेकिन अपनी **प्रतिपरीक्षा** में, उसने स्वीकार किया है कि आरोपी व्यक्ति उसके प्रतिनिधि हैं और अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच विभाजन का मुकदमा चल रहा है।

29. पी.डब्लू-7 डॉक्टर रविशंकर शर्मा हैं जिन्होंने सूचक उपेंद्र चौधरी और अन्य घायल व्यक्तियों की जांच की थी।, राज कुमार चौधरी, सरिता देवी और मुन्नी देवी। उसकी खोज के अनुसार, सूचना देने वाले को दाहिने माथे पर 1 "1/3" × 1/3 "आयाम का एक कटा हुआ घाव मिला था जो तेज धार वाले हथियार के कारण हुआ था। राज कुमार चौधरी के बाएं पैर के बीच में 1 "x1" आयाम का घर्षण हुआ था, जो कठोर कुंद पदार्थ के कारण हुआ था। सरिता देवी के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी और उन्होंने केवल शरीर में दर्द की शिकायत की थी। मुन्नी देवी के व्यक्ति पर 1/2 "x1/4" x1/4 "आयाम की बाईं एड़ी के पीछे घाव होता है, जो कठोर कुंद पदार्थ के कारण होता है जो प्रकृति में भी सरल है। **पी.डब्लू-8** बच्चू चौधरी एक सुनाने वाला गवाह है।

30. D.W.-1, बचाव पक्ष की ओर से राधे प्रसाद सिंह एक औपचारिक गवाह हैं। उन्होंने सिविल केस संख्या 88/2016 की प्रमाणित प्रति साबित की है, जिसमें प्रतिवादी सीता राम चौधरी और अन्य हैं। प्रमाणित प्रति को आपत्ति के साथ प्रदर्श ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

31. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास कोई खतरनाक हथियार नहीं थे, न ही उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट कार्य किया है कि उनका इरादा हत्या करने का था। यह घायल व्यक्तियों की चोट से भी स्पष्ट है जिसमें सूचना देने वाला भी शामिल है जिसे मामूली चोट लगी थी। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों पर मुखबिर या अभियोजन पक्ष के किसी अन्य सदस्य की हत्या करने का दबाव था और वे बीच की परिस्थितियों में बच गए थे। चोरी के आरोप के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सबूत भी नहीं है।

32. यहाँ, **सगयम बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 454** का उल्लेख करना उचित होगा**,** जहाँ **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने अभिनिर्धारित किया है कि द०वि० की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह कानून में पर्याप्त है यदि इसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद है. यदि प्रयास इतना आगे बढ़ गया है कि यह पूरा हो गया होता, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप के लिए जो इसकी समाप्ति को निराश करता है।

33. पुलीचेरला नागराजू नागराजा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 444 में, **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने मृत्यु का कारण बनने के इरादे के बारे में राय बनाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया है:।

> 29..... मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है: (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या उसे मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया था; (iv) चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान हुआ था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई थी या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर स्थिति थी और क्या कोई गंभीर स्थिति थी। अचानक उकसाना, और यदि हां, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या यह जुनून की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है; (xi) क्या आरोपी ने एक भी प्रहार किया है या कई प्रहार किए हैं। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं।"

34. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है और रिकॉर्ड पर मौजूद कानून और साक्ष्य की उचित समझ पर आधारित है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को दूसरे दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने वाले विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

35. अतः, किसी भी योग्यता के अभाव में, यह अपील शेखपुरा पी.एस. केस संख्या 132/2017 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 54/2018 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 15.02.2023 को दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को बरकरार रखते हुए खारिज की जाती है।।

36. हालाँकि, वर्तमान अपील से अलग होने से पहले, यह बताना भी उचित है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को धारा 147, 148, 341/149 और 323/149 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया है और पीड़ितों, अर्थात् उपेंद्र चौधरी, राज कुमार चौधरी, सरिता देवी और मुन्नी देवी को कुछ चोटें आई हैं। हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषियों को रिहा करने का निर्देश देते समय अधिनियम की धारा 5 पर ध्यान नहीं दिया है, जो पीड़ितों को मुआवजे और लागत के भुगतान का प्रावधान करती है।

37. अधिनियम की **धारा 5** के अनुसार, यदि किसी अपराधी को अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत रिहा किया जाता है, तो न्यायालय को अपराधी को पीड़ित को हुए नुकसान या चोट के लिए मुआवजा और लागत का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 5 का वैधानिक प्रावधान **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा **मारू राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1981) 1 एससीसी 107** में निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए महान न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा

था कि नुकसान की भरपाई या चोट को ठीक करने के लिए अपराधी की सामाजिक जिम्मेदारी दंडात्मक अभ्यास का एक हिस्सा है, लेकिन जेल की अवधि की लंबाई अपंग या शोकाकुल व्यक्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, बल्कि क्रूरता के साथ निरर्थकता है।

38. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान भी भारतीय द०प्र० संहिता, 1973 की धारा 357 (3) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 395 (3) के अनुरूप हैं, जिसमें दोषी द्वारा अपने अपराध के पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है।

39. मुआवजे की मात्रा का आकलन करते समय, मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति और दावे की न्याय्यता और भुगतान करने के लिए अपराधी की क्षमता न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं। निम्नलिखित अधिकारियों का संदर्भ लें:

1. हरि किशन बनाम सुखबीर सिंह, (1988) 4 एससीसी 551,

2. सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1978) 4 एससीसी 111,

3. अंकुश एस. गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2013) 6 एससीसी 770।

40. सवाल उठ सकता है कि क्या अदालत दोषी को पीड़ितों की ओर से दायर किसी भी आवेदन के बिना अपराधी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की

धारा 3 या 4 का लाभ देते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दे सकती है। इस प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में सकारात्मक है।

41. यहाँ, अधिनियम, 1958 की धारा 5 का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार हैः

> "5. रिहा किए गए अपराधियों को भुगतान करने की आवश्यकता के लिए न्यायालय की शक्ति क्षतिपूर्ति और व्यय-(1) धारा 3 या धारा 4 के तहत किसी अपराधी की रिहाई का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसी समय उसे (ए) ऐसा मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है जो न्यायालय अपराध करने से किसी व्यक्ति को हुए हुए न नुकसान या चोट के लिए उचित समझता है: और (बी) कार्यवाही के ऐसे खर्च जो न्यायालय उचित समझता है।
>
> (2).....
>
> (3).....

42. 1958 के अधिनियम की धारा 5 के शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत एक अपराधी की रिहाई का निर्देश देते समय, निचली अदालत अपराधी को पीड़ितों को नुकसान या चोट के लिए ऐसा मुआवजा और कार्यवाही की ऐसी लागत का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है, जिसे अदालत उचित समझे।

43. यह भी ध्यान रखना उचित है कि इस तरह के मुआवजे या कार्यवाही की लागत प्राप्त करने के लिए पीड़ित की ओर से कोई आवेदन दायर करने की

कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। न्यायालय पीड़ितों के पक्ष में दोषी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसा निर्देश दे सकता है, यदि न्यायालय का विचार है कि पीड़ित मुआवजे और लागत के भुगतान का हकदार है। इस तरह के निर्देश के लिए केवल पूर्व शर्त यह है कि अपराधियों को 1958 के अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत रिहा किया गया है।

44. विचारण न्यायालय की तरह अपीलीय न्यायालय को भी इस तरह का निर्देश पारित करने का अधिकार है यदि अपीलीय न्यायालय पटना उच्च न्यायालय को सी. आर. मानता है। 2023 का एपीपी (एसजे) No.1553 दिनांक यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तर्कसंगत है, क्योंकि अपील और कुछ नहीं बल्कि मुकदमे की निरंतरता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश न केवल पीड़ितों/सूचक द्वारा दायर अपील में, बल्कि बल्कि दोषियों द्वारा दायर अपील में भी पारित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा निर्देश अदालत द्वारा ऐसे निर्देश की तर्कसंगतता के बारे में अपनी संतुष्टि पर पारित किया जाना आवश्यक है, चाहे आवेदन या पीड़ितों द्वारा कोई आवेदन न हो। यहाँ यह भी याद रखना आवश्यक है कि आपराधिक न्याय के प्रशासन में पीड़ितों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत पीड़ितों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों का ध्यान रखने के लिए दंड और पीड़ित विज्ञान को साथ-साथ चलना चाहिए।

45. इसलिए, मामले में, दोषसिद्ध अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 2,500/- प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के रूप में, जिसमें से 30 प्रतिशत सूचना देने वाले को जाएगा जिसके माथे पर घाव हुआ है, और 30 प्रतिशत मुन्नी देवी को जाएगा जिसे घाव हुआ था। शेष 40 प्रतिशत शेष घायल व्यक्तियों जैसे- राज कुमार चौधरी और सरिता देवी बराबर राशि में को दिया जाएगा ।

46. उत्तरदाताओं के भुगतान न होने की स्थिति के मामले में उत्तरदाता संख्या 1 से 13 पीड़ितों को दो महीने में मुआवजे का भुगतान करने के लिए, उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। हरि सिंह बनाम में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **सुखबीर सिंह (1988) 4 एस. सी. सी. 551** ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय मुआवजा भुगतान न होने की स्थित में सजा लागू करके मुआवजे के आदेश को लागू करें।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

शोएब/चंदन/
रवि शंकर/एस. अली

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।